

13/10/16 चक्रील वादी उपस्थित। उन्हे वाद पत्र पर नेटवर्क
फिल्टर वादी के इजलास उठने तक आवानि लगवाई गई लेकिन
न तो वह स्वयं न ही उसकी ओर से कोई प्लीडर उपस्थित
आया है। वाद पत्र रुकम पैरवी क्षम हजिरी में खारिज
करा जा रहा है। मिसल चेंसल शुमार लेकर नम्बर से कम है।
वाद दफ्तर दाखिल है।

ह

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

महोदय -
में इस वाद पर
में कानून से कोई कार्यवाही
नहीं जा रहा है
Nul points
म

